

संख्या:- 2062 / 111(2) / 13-56(प्रो0आ0) / 2012

प्रेषक

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 20 मार्च, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0बे0/कु0बे0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यों के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 56.50 किमी0 + 06 सेतु सहित पर टी0ए0सी0 विस्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 520.47 लाख (₹ पाँच करोड़ बीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 18 कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹ 1.80 लाख (₹ एक लाख अस्सी हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीशक-5054 संडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य संडकों- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय के प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

प्रति

महिला,
 (महिमा)
 अनु सचिव

शासनादेश संख्या:- 2062 (1)/11(2)/13-66(प्र0आ0)/2012 दिनांक 20 मार्च, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० वित्त द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	जनपद पिथौरागढ़ में मुवानी से मुगरोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	25.20	0.10
2	जनपद पिथौरागढ़ में चौबाटी से मण खिरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	25.16	0.10
3	जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव न्वाली मोटर मार्ग के गैडाली से चनौली टुण्डी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00+ 21 mt	39.06	0.10
4	जनपद पिथौरागढ़ में शहीद जवाहर सिंह के गाँव कुशकटिया से पुगौर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.00	25.20	0.10
5	जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़-कनालीछीना मोटर मार्ग से सतगड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	25.20	0.10
6	जनपद पिथौरागढ़ में थल से सत्यालगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	12.58	0.10
7	जनपद पिथौरागढ़ में जाख धौलेत से ओंकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	12.58	0.10
8	जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़-झूलाघाट मोटर मार्ग के किमी० 10.00 रैगाड पुल मल्ली मूनाकोट से तल्ली मूनाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.00	12.60	0.10
9	जनपद पिथौरागढ़ में सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के रामकोट से पत्थरकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	37.80	0.10
10	जनपद पिथौरागढ़ में कनालीछीना पीपली के पीपली से गाजरी से रुनाडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00 + 12 mt	25.92	0.10
11	जनपद पिथौरागढ़ में चौबाटी मुवानी सड़क से मलकुडा सौगाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	37.74	0.10
12	जनपद अल्मोड़ा में हवालबाग के पाखुडा मोटर मार्ग के किमी० 4.00 से 24 मी० स्पान स्टील गर्डर मोटर पुल का नव निर्माण। (मा०मु०मं०घो०सं०- 703/2012)	24 mt	1.68	0.10
13	जनपद अल्मोड़ा में सुयालबाड़ी-गंगरकोट के मध्य झूला पुल का निर्माण। (मा०मु०मं०घो०सं०- 753/2012)	80 mt	6.34	0.10
14	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-सैनार-घाण मोटर मार्ग का निर्माण। (60.00 मी० विस्तार स्टील गर्डर सेतु सहित)। (मा०मु०मं०घो०सं०- 748/2012)	3.00 + 60.00 mt	42.00	0.10

प्रति

हाथी प्रति सभापति

सहायक अभियन्ता

राज्यीय सड़क, लोक निर्माण विभाग

मुंबई